

# ।। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), बांसवाड़ा ।।

## कार्यालय आदेश

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राज. बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा-माध्य/संस्था/एफ-1/12102/शा0शि0 ग्रेड-111/ सी.भ./2013-16 दिनांक 13.04.2017 के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा तृ0वे0श्रुं. शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक पद पर भर्ती परीक्षा 2013 हेतु वेतन श्रृंखला पी.बी.-2( 9300-34800) ग्रेड पे 3600 पद पर चयनोपरान्त नियुक्ति प्रदान कर पदस्थापन हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये जाने के फलस्वरूप संलग्न सूची में अंकित आशार्थियों को तृ.वे.श्रुं. शा.प्र.अनु. पद पर वेतन श्रृंखला पी.बी.-2 (9300-34800) ग्रेड पे 3600 में दो वर्ष की अवधि हेतु परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियत मानदेय 13200/- पर नियुक्ति दी जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कार्यग्रहण करने की दिनांक से 02 वर्ष की अवधि तक राज्य सरकार के अधिसूचना क्रमांक एफ 12(6) एफडी (नियम)/05 दिनांक 13.03.2006 के प्रावधानानुसार नियत मानदेय अथवा पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन देय होगा। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.3 (1) कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजना अन्तर्गत होगी। इनकी नियुक्ति एवं पदस्थापन की कार्यवाही राज्य सरकार के पत्रांक प.17(4) शिक्षा-2/2009 दिनांक 29.03.2006 के पार्ट बी में वर्णित निर्देशों के अनुसार दिनांक 26.04.2017 को आयोजित परामर्श शिविर के आधार पर इनके नाम के सामने अंकित विद्यालय में पदस्थापित किया जाता है। इन्हें दिनांक 08.05.2017 तक अनिवार्य रूप से कार्यग्रहण करना होगा। उक्त निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करने पर उक्त नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जायेंगे। यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओं के अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

सम्बन्धित संस्था प्रधान इनकी कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेंगे :-

01. इनके द्वारा अर्जित एवं इनके आवेदन पत्र के साथ संलग्न शैक्षिक/प्रशैक्षिक/आयु/जाति/आरक्षण संबंधी एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की मूल दस्तावेजों से मिलान कर उसकी एक प्रति कार्यालय अभिलेख में सुरक्षित रखेंगे। इनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता/सन्देह होने की स्थिति में इस कार्यालय को प्रमाण पत्र सहित सूचित करते हुए अग्रिम आदेश तक कार्यग्रहण नहीं करावे।
02. सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति तथा संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी सदाचरण रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्यग्रहण करवाया जाये। पूर्व में राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
03. इन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.7(1)डीओपी/ए-11/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके बाद उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का 10 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त करेंगे।
04. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की जांच विभाग द्वारा करायी जानी शेष है। अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गयी है उन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व 10 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त करेंगे। यदि इनके द्वारा राज्य की बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध एवं मान्य नहीं पाई गयी तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति आदेश निरस्त करते हुए उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।
05. इन्हें कार्यग्रहण करवाने से पूर्व इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करे कि उनके द्वारा प्रस्तुत समस्त सूचनाएं एवं दस्तावेज सही हैं। इनके त्रुटिपूर्ण/जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त करते हुए इनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही कराने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
06. जो अभ्यर्थी बी.पी.ई.(03 वर्षीय पाठ्यक्रम) की प्रशैक्षिक योग्यता धारित है, उनकी एन.सी.टी.ई. से मान्यता नहीं होने के कारण नियुक्ति कर कार्यग्रहण नहीं करवाते हुए इस कार्यालय को सूचित करेंगे।



07. यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न खेलकूद प्रमाण पत्र संबंधित संस्था प्रधान से हस्ताक्षरित/अनुप्रमाणित नहीं है तो उनके मूल खेलकूद प्रमाण पत्र पर संबंधित संस्था प्रधान के हस्ताक्षरित एवं प्रमाणीकरण की पुष्टि करने एवं उसकी सत्यापित प्रति प्राप्त कर अभिलेख में सुरक्षित रखेंगे।
08. अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात का बना हुआ प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा।
09. इन्हें कार्यग्रहण कराने से पूर्व कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3)कार्मिक /क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबद्धता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त करेंगे।
10. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने सम्बन्धि प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है, तो तत्सम्बन्धी आशय का 10/-रु. के नॉन जयूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त करेंगे।
11. संस्था प्रधान अभ्यर्थी से नवीनतम फोटो प्राप्त कर नियुक्ति पत्र पर चिपकाकर प्रमाणित करेंगे।


सलग्न:- सूची 1

  
 26/4/17  
 जिला शिक्षा अधिकारी  
 माध्यमिक बांसवाड़ा

क्रमांक:-जिशिअ/मा/बांस/संस्था-1/फा.शाशि. नियुक्ति-2013/2017-18/30 दिनांक:-26.04.2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

15. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
16. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
17. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
18. शासन उप सचिव, कार्मिक (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
19. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
20. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
21. शिक्षा उपनिदेशक माध्यमिक/प्राशि उदयपुर मण्डल उदयपुर।
22. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा बांसवाड़ा।
23. ब्लॉक प्रा0शि0 अधिकारी प0स0.....
24. संबंधित संस्थाप्रधान.....
25. ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....
26. सम्बन्धित आशार्थी श्री.....
27. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।
28. रक्षित पत्रावली।

  
 26/4/17  
 जिला शिक्षा अधिकारी  
 माध्यमिक बांसवाड़ा



# कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक बांसवाडा (राज0)

क्रमांक-जिशाअ-मा/संस्था-1 /फा-शा.शि. आरपीएससी नियुक्ति-2013/2016-17/ 30 दिनांक:- 26.04.2017

क्र. सं.	मेरिट नं.	वर्ग	आशार्थी का नाम , पिता का नाम व पता	जन्म तिथि	रोस्टर चयन वर्ग जिसके प्रति आशार्थी का चयन किया गया है	पदस्थापन स्थान
1	2	3	4	5	6	7
1	R-1315	GE,WE	कृपाली जोशी / भोगीलाल जोशी मु.पो. शेषपुर 125 भट्ट सदन वाया झल्लारा तह. सलुम्बर जिला उदयपुर	19/07/1982	TGEF	राउप्रावि टाटिया, ब्लॉक घाटोल
2	R-1412	TSP-SC, WE	पुष्पा खटीक / पोंजा खटीक मु.पो. वरदा (धाणी) तह. सागवाडा जिला डुंगरपुर	15/06/1983	TSCF	राउप्रावि नागदला, ब्लॉक घाटोल
3	R-1041	BC	करणसिंह राव / माधवसिंह राव मु. फलाबारा पो. मलाना तह. गढी जिला बांसवाडा	10/03/1980	TGEM	राउप्रावि गुलाबपुरा, ब्लॉक गढी
4	R-1044	BC	नरेश कुमार पाटीदार / जीवनलाल पाटीदार मु. पो. घाटा का गांव तह गलियाकोट जिला डुंगरपुर	13/02/1974	TGEM	राउप्रावि वन्डा, ब्लॉक आनन्दपुरी
5	R-1057	BC	भानुप्रताप सोलंकी / भोपालसिंह सोलंकी मु.पो. कृष्ण मंदिर के पीछे गढी जिला बांसवाडा	28/11/1981	TGEM	राउप्रावि नडियादा बडा, ब्लॉक गढी
6	R-1091	GE	राजेन्द्र सिंह सिसोदिया / तखतसिंह सिसोदिया मु. मुलगढा तह. सलुम्बर जिला उदयपुर	24/10/1975	TGEM	राउप्रावि नया तलाब, ब्लॉक गढी
7	R-1115	GE	जगतसिंह झाला / प्रतापसिंह झाला मु. बदराणा पो. गोगला तह झाडोल(फलासिया) जिला उदयपुर	22/10/1986	TGEM	राउप्रावि नागवाला, ब्लॉक घाटोल
8	R-1116	GE	नितेष पण्ड्या / रमेशचन्द्र पण्ड्या श्रीराम मंदिर मार्ग मु.पो. नवागांव जिला बांसवाडा	04/01/1980	TGEM	राउप्रावि निचलीनाल, ब्लॉक बांसवाडा
9	R-1124	GE	राजवर्धनसिंह चौहान / दिलवरसिंह चौहान मु.पो. ठिकरिया तह गढी जिला बांसवाडा	05/05/1986	TGEM	राउप्रावि चिरोला, ब्लॉक घाटोल
10	R-1125	GE	पुनीत जोशी / शिवशंकर जोशी मु.पो. जेठाना तह सागवाडा जिला डुंगरपुर	13/08/1991	TGEM	राबाउप्रावि टामटिया राठौड, ब्लॉक अरथुना
11	R-1286	TSPSC	रामसिंह / दिलीप कुमार द्वारा मंजु कुमारी एएनएम उपस्वास्थ्य केन्द्र कारोली मु. कारोली पो. शान्तिवन तह आबुरोड जिला सिरोही	25/11/1976	TSCM	राबाउप्रावि माहीडेम, ब्लॉक बांसवाडा
12	R-1304	TSPST	तोलाराम डिण्डोर / पन्नाजी मु. माकडीचौर पो. नागावाडा तह. बागीदौरा जिला बांसवाडा	01/01/1984	TSTM	राउप्रावि अगोरिया, ब्लॉक बागीदौरा

जिला शिक्षा अधिकारी  
माध्यमिक बांसवाडा